न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

(143)

प्रकरण क्रमांक : 861 पीबीआर/2002 निगरानी - विरूद्ध- आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2002 – पारित व्दारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 68/2990–91 अपील

पीताम्बर स्वरूप पुत्र रघुवर दयाल
निवासी सेवढ़ा वर्तमान निवासी
114 मयूर मार्केट थाटीपुर मुरार
ग्वालियर मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– कालका प्रसाद
3– नरोत्तम तीनों पुत्रगण रघुवरदयाल
निवासीगण अनुपगंज सेवढ़ा जिला दतिया ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(शासन के पैनल लायर श्री राजीव शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 18– अप्रेल, 2019 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 68/2990–91 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2002 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (अत्र पश्चात् संहिता) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक के विरूद्व सेवढ़ा नगर स्थित रोड किनारे 1–50 मीटर चौड़ी तथा 5–20 मीटर लंबाई की नजूल आबादी शासकीय भूमि पर पत्थर रखकर अवेघ रूप से अतिक्रमण करने के आघार पर तहसीलदार सेवढ़ा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। तहसीलदार सेवढ़ा ने प्रकरण कमांक 122/84–85 अ 68 पॅजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 18–5–86 पारित किया तथा म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत रू. 1500/– अर्थदण्ड करते हुये बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने प्रकरण कमांक 43/85–86 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–7–90 से अपील अमान्य करते हुये तहसीलदार सेवढ़ा के आदेश दिनांक 18–5–86 को यथावत् रखा। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 68/2990–91 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2002 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विवादित भूमि आवेदक की पुस्तैनी संपत्ति है जिस पर दुकानें बनी है कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। तहसील न्यायालय ने साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है एंव अपीलीय न्यायालयों ने मुख्य दस्तावेजों पर ध्यान दिये बिना ही अपील अस्वीकार की है इसलिये साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

म0प्र0शासन के पैनल लायर ने तर्को में बताया कि आवेदक ने नजूल आबादी शासकीय रोड किनारे स्थित 1–50 मीटर चौड़ी तथा 5–20 मीटर लंबाई की शासकीय व सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर पत्थर रखकर अवेघ रूप से निर्माण किया है आवेदक को सभी अधीनस्थ न्यायालयों ने सुनवाई का पूरा पूरा अवसर दिया है जहॉ तीन न्यायालयों के आदेशों के निष्कर्ष एकजैसे हों, निगरानी निरस्त कर देना चाहिये।

5/ हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति है कि तहसील न्यायालय ने आवेदक को विधिवत् सूचना पत्र का निर्वहन कराया गया है एंव पक्ष रखने के लिये आहुत किया गया है विधिवत् सूचना निर्वहन होने के वाद आवेदक तहसील न्यायालय में जानबूझकर अनुपस्थित रहा है जिसके कारण तहसीलदार को उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करना पड़ी है। तहसीलदार के समक्ष हलका पटवारी ने जो अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसका अंश उद्वरण इस प्रकार है :–

> अनावेदकगणों व्दारा कस्वा सेवढ़ा सदर बाजार में कुए के पास शासकीय नजूल भूमि आबादी सर्वे कमांक 609/1 में अवैध रूप से रास्ते में 1.50 मीटर X 5.20 मीटर = 7.80 वर्गमीटर पत्थर की चटटानें रखकर अतिकमण कर लिया है व दीवाल में शासकीय भूमि की ओर अवैध रूप से दरवाजा करने की नियत से निर्माण कार्य कर रहे थे जिसे दिनांक 8–9–85 को स्थल पर जाकर जरिये नोटिस निर्माण कार्य रूकवाया एंव श्रीमान के न्यायालय में दिनांक 9–9–85 को उपस्थित होने अनावेदकगणों को पावन्द किया गया।

तहसीलदार सेवढ़ा की आर्डरशीट दिनांक 25–2–86 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार व्दारा हितबद्व पक्षकारों को विधिवत् सूचना निर्वाहित कराई है एंव विधिवत् सूचना होने के वाद भी उपस्थित न होने पर दिनांक 25–2–86 को एकपक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया है। पेशी दिनांक 25–2–86 के वाद 4–3–86, 25–3–86, 31–3–86, 5–5–86, 15–5–86, पर सुनवाई हुई है विधिवत् सूचना होने के वावजूद अतिकामक होने के कारण आवेदक तहसीलदार के समक्ष

जानबूझकर सुनवाई में अनुपस्थित रहा है, जिसके कारण प्रकरण में पुर्नसुनवाई का अवसर दिये जाने का औचित्य नहीं है। तहसीलदार सेवढ़ा व्दारा आदेश दिनांक 18–5–86 में निकाले गये निष्कर्ष , अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा व्दारा आदेश दिनांक 28–7–90 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2002 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 68/2990–91 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2002 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर